धन-कर

धारा 22क का संशोधन ।

53. धन-कर अधिनियम, 1957 (जिसे इसमें इसके पश्चात् धन-कर अधिनियम कहा गया है) की धारा 22क के खंड (ख) में 1 जून, 2010 से,— 1957 का 27

(i) खंड (ख) के परंतुक के खंड (iii) का लोप किया जाएगा ;

(ii) स्पष्टीकरण में,—

(क) खंड (iii) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(iii) धारा 37क के अधीन आरंभ की गई किसी तलाशी या धारा 37ख के अधीन की गई किसी अध्यपेक्षा के परिणामस्वरूप निर्धारण वर्षों में किसी के लिए निर्धारण या पुनःनिर्धारण की कार्यवाही को ऐसी कार्यवाहियों को आरंभ करने की सूचना की तारीख को आरंभ हुआ और उस तारीख को, जिसको निर्धारण किया जाता है, समाप्त हुआ समझा जाएगा ।";

(ख) खंड (iv) में "या परंतुक के खंड (iii)" शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के स्थान पर, "या परंतुक के या स्पष्टीकरण के खंड (iii)" शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे ।

धारा 22घ का संशोधन ।

54. धन-कर अधिनियम की धारा 22घ की उपधारा (4क) में,—

(क) खंड (ii) में, "या उसके पश्चात्" शब्दों के पश्चात्, "किंतु 1 जून, 2010 से पूर्व" शब्द और अंक अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ख) खंड (ii) के पश्चात्,, निम्नलिखित खंड 1 जून, 2010 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(iii) 1 जून, 2010 को या उसके पश्चात् किए गए आवेदन की बाबत, उस मास के अंत से, जिसमें आवेदन किया गया था, अठारह मास के भीतर ।"।

धारा 27 का संशोधन ।

55. धन-कर अधिनियम की धारा 27 की उपधारा (3क) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी और 1 जून, 1981 से अंतःस्थापित की गई समझी जाएगी, अर्थात् :—

"(3ख) उच्च न्यायालय, उपधारा (3) में निर्दिष्ट नब्बे दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात् किसी आवेदन को ग्रहण कर सकेगा, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि उस अवधि के भीतर उसे फाइल न करने के लिए पर्याप्त हेतुक था ।"।

धारा 27क का संशोधन ।

56. धन-कर अधिनियम की धारा 27क की उपधारा (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी और 1 अक्तूबर, 1998 से अंतःस्थापित की गई समझी जाएगी, अर्थात् :—

"(1क) उच्च न्यायालय, उपधारा (1) में निर्दिष्ट एक सौ बीस दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात् अपील ग्रहण कर सकेगा, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि उस अवधि के भीतर अपील फाइल न करने के लिए पर्याप्त हेतुक था ।"।